कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0–2023/ 1476 लखनऊ:दिनांक 06/07/2023

यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की ऑनलाइन काउन्सलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) की ऑनलाइन कॉमन काउसिंलिंग कराये जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के संबंध मे जैसे ही निर्णय लिया जायेगा उसकी स्थिति से सूचित किया जायेगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 काउसिंलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउन्सिलिंग/च्वाइस फिलिंग से पूर्व ही सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले। आवंटन के पश्चात् किसी विषमता की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल/डेन्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं होगा।

डोमिसाइल के संबंध मे

- *ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट एक अथवा दोनों परीक्षाएं प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है ऐसे अभ्यर्थियों हेतु डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 157/तीन–2003–77(11)/83 दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (शासनादेश संलग्न)*

- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल संस्थानों की सीटो पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशो के निवासी भी अर्ह होंगे।

आरक्षण के संबंध मे :–

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2023** के बाद का निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें।
- यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 के अन्तर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नांकित बिन्दु के अनुसार निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगें:–

  - दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (MCC Letter No. Ref. U-11011/01/2023-MEC dated 05-7-2023)
  - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
  - एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र (''सी'' सार्टीफिकेट ''बी'' ग्रेडिंग के साथ) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
  - भूतपूर्व सैनिक (युद्ध मे अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र–पुत्री के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशो से निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र अनुमन्य नही होगें।
- आल इण्डिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगे।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो की सीटो पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

शैक्षिक अर्हताएं:–

- यू0पी0नीट यू0जी0–2023 के माध्यम से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी ब्रोशर मे उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होगीं।

- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को **" नागरिकता "** जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को **" नागरिकता "** से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनॉक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्नुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी "** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।

(6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलाग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय **" दि सिटीजनशिप एक्त्-1955 "** में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम .....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम .....

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा दी जाये।

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रामण पत्र (यदि है तो)
.....

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक).....

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) .....

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एव उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र).....

पूरा वर्तमान पता .....

थाना .....तहसील .....

जनपद ..... (तथा पिछले तीन वर्षा से निवास करने का पता, कब से कब तक) .....

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि .....

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान .....

(ख) जन्म तिथि .....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हॉ/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)
10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए .....

मैं..... घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूॅ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... ..जनपद..... उत्तर प्रदेश को
मैं ..... वर्षों से जानता हूॅ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील .....
जिला.....में अचल सम्पत्ति है।
दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
मकान नंबर .....
मुहल्ला ..... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता .....
....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Office of MCC
Email: adgme@nic.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-11011/01/2023-MEC **Dated: 05-07-2023**

NOTICE

Urgent Attention all PwD Candidates of NEET-UG, 2023:

All candidates who have registered themselves under PwD quota in NEET-UG(2023) NTA form are hereby informed that the PwD portal for generation of PwD certificates by the Designated *Disability NEET screening Centres* is now open.

Hence, the candidates who are desirous to get a PwD seat through the MCC counselling process may get the disability certificate issued from any one of the designated NEET Disability screening Centre (as per list attached below) **through online mode only**.

However, the candidates have to visit the designated *Disability NEET Screening Centres* for physical examination and quantification of their disability and obtain PwD certificate generated online by the centre. No other certificate except the one generated through the MCC portal in online mode will be accepted at the time of admission.

In addition, all candidates irrespective of the fact whether they have qualified NEET UG exam in terms of cut off percentile will be able to get the online certificate issued from the designated centres.

The candidates are advised to keep in touch with the MCC website (mcc.nic.in) for latest updates.

Notice posted on:- 05-07-2023

List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses

S/No.	Name of Disability Certification Centre	City/State	Specialities Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	**New Delhi**	All Disablities as mentioned in Disability Certificate **except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.**
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	**Mumbai**	For **Locomotor Disability** only
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER)	**Kolkata**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4.	Madras Medical College (MMC)	**Chennai**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	**Mumbai, Maharashtra**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6.	Goa Medical College	**Goa**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate **except Speech Disability.**
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	**Thiruvananthapuram, Kerala**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophtalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8.	SMS Medical College	**Jaipur, Rajasthan**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate **except:** 1. **Neurology- Genetic Testing** 2. **ENT- Speech & Language Disability Testing** **Orthopaedics/ PMR- Gonitometer Adult. Plumb Line, Hand Dynomometer, Laser**
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	**Chandigarh**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate

10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	**Agartala/Tripura**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11.	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University,	**Varanasi/ Uttar Pradesh**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate **except Intellectual Disability.**
12.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	**Mumbai, Maharashtra**	For **Hearing Disabilities** only
13.	AIIMS, Nagpur	**Nagpur, Maharashtra**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	**New Delhi**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate **except ENT** **For Visual Disability:** Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15.	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC)	**New Delhi**	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	**Mysuru, Karnataka**	For **Speech & Hearing Disabilities** only